(Central Advisory Board of Education) Committee on Policy (Janardhan Reddy Committee) made the following recommendation in regard to the All India Council of Technical Education (AICTE) Act:

"The AICTE Act should be amended and Para 6.19 of NPE should be reformulated. The Regional Committee of the AICTE should be adequately staffed and the Chairman of the Regional Committee should be an Education Minister of a State from the region, by rotation. The Regional Committee should have the power to make recommendations on the opening of new institutions, starting of new courses and enhancing the intake within the frame-work of the guidelines laid down by the AICTE. The State Governments and the universities should issue the necessary approvals based on the recommendations of the Regional Committees only."

(c) to (e) The report of the CABE Committee on Policy is now to be considered by the CABE. The Government will finalise its views on the matter after receipt of the CABE's recommendations.

खेल-कूद के विकास के नाम पर सहायता

4149. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगपति, श्री सिंघानिया को सहायता के रूप में 3,00,000 डालर राशि प्रदान करने के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का आधार क्या है ; और

(ग) क्या खेलों के विकास के नाम पर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिये इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति दी गई है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Committee to augument computer education and training

4150. SHRI KAPIL VERMA:

SHRIMATI VEENA VERMA:

SHRI B. L. PANWAR:

SHRI CHHOTUBHAI PATEL:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Committee was set up to recommend measures to augument computer education and training; and

(b) if so, whether it has submitted its report and if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The Committee has submitted its report and the main recommendaions made by the Committee are as under: (i) Teaching and tarining establishments should be encouraged to promote commercially viable companies in software applications and tarining and Computer faculty should also be encouraged to set up their own commercially operated enterprises to provide computerisation and training.

(ii) About Rs. 1,000 crores may be provided over a period of three years for setting up of five new Advanced Information Systems Institutes like IITs, upgradation of about 15 existing main

centres in the educational institutions to centres for Information Technology and for providing minimum computer facilities in about 100 universities and other teaching centres. This investment should be recovered within five years from the beneficiaries—present and potential.

(iii) Provide tax benefits for investments in computer facilities as applicable to R&D expenditure.

(iv) Introduce a new course—BCA (Computer Applications) and special programmes for the degree holders from other streams.

(v) An autonomous Apex Body which will set guidelines for the growth of computer manpower development should be constituted. This Apex Body should have an Accreditation Board for Computer Education to safeguard the standards in computer education.

An interim Committee may be constituted immediately till the permanent Apex Body is constituted.

(vi) Encourage private institutions, co-operative colleges, etc. for development of computer manpower with other local or NRI participation.

(vii) All the formal computer education should be under the purview of the Ministry of Human resource Development only.

सरकारी विद्यालयों में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य

4151. **श्री कपिल वर्मा :**
श्रीमती वीणा वर्मा :
कुमारी सईदा खातून :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा छः से कक्षा आठ तक 'सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य' विषय को अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के अंतर्गत कुल कितने विषय शामिल किये गये हैं और अभी तक इसके अंतर्गत कितने विषय पढाये जा रहे हैं ;

(ग) इस योजना के लिये अनुमानित बजट कितना है ; और

(घ) क्या शिक्षा निदेशालय ने इस शैक्षिक सत्र में कुछ नये स्कूल खोलने का निर्णय लिया है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से यह दिशा निर्देश प्राप्त होता है कि कार्य अनुभव को, जिसे उद्देश्यपूर्ण व सार्थक काम के रूप में देखा गया है, जो अध्ययन प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है तथा जिसके फलस्वरूप यह समुदाय के उपयोगी वस्तुओं अथवा सेवाओं के रूप में होता है, शिक्षा के सभी स्तरों पर एक अनिवार्य घटक होना चाहिए और इसे सुगठित तथा श्रेणीबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1988 में प्रारंभिक और सैकेण्डरी शिक्षा के लिए निकाला गया पाठ्यचर्या ढांचा स्कूली बच्चों के लिए एक कार्यानोन्मुख शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में कार्य-अनुभव की सिफारिश करता है। यह एक गैर - स्कूली विषय है जिसके लिए ढांचा प्रबंध के सभी प्रकारों के अन्तर्गत स्कूलों के लिए कक्षा VI से VIII तक में 12% शैक्षिणिक समय की सिफारिश करता है।

(ग) कार्य-अनुभव कार्यकलापों के लिए पृथक बजट नहीं है।

(घ) चूंकि किसी विशिष्ट राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह सूचना देना संभव नहीं है।